20.09.2025

वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित मित्तल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 09.01.2025 का वादी की ओर से जवाब पेश न कर सीधे मौखिक बहस का निवेदन किया।

प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना–पत्र में यह निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत दावे में प्रियंका मित्तल के बयान दिनांक 18.09.2024 को लेखबद्ध हुए हैं। उनका यह भी निवेदन है कि प्रियंका मित्तल से की गई जिरह में उसने कथन किया है कि वसीयत श्री रतनलाल मित्तल की है एवं जो वसीयत श्रीमती विमला देवी की है, जब श्री नवरत्न मित्तल के द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर शिकायत भी की थी और शिकायत पर पुलिस में जांच भी हुई थी और पुलिस में जांच होकर वसीयत सही मानी गई है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रियंका मित्तल के न्यायालय में दिनांक 18.09.2024 को हुए शपथ–बयानों में वसीयत बाबत कोई भी अन्य कार्यवाही, फौजदारी कार्यवाही नहीं की गई, जबकि वसीयत के बाबत शिकायत की गई। पुलिस में जांच भी हुई और दोनों वसीयत सही निष्पादित होना माना गया, जिनकी प्रमाणित प्रतियां उन्होंने फर्द दस्तावेज के साथ पृथक से पेश कर दी है। उन्हीं दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने के लिए हस्तगत प्रार्थन–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी ने वसीयत की सत्यापित प्रति होने के कारण यही निवेदन किया है कि जो न्यायालय उचित समझे, उसी अनुसार विधिक कार्यवाही करें।

प्रार्थना–पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत सत्यापित दस्तावेज (वसीयत) वाद के निस्तारण हेतु पेश किये गये है, जो कि हस्तगत वाद के न्यायसंगत निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेज होकर सत्यापित प्रतिलिपि में हैं। उक्त दस्तावेज इस न्यायालय में लम्बित एक अन्य दीवानी वाद संख्या 165/2025 नवरतन बनाम अनिल आर मित्तल की पत्रावली में संलग्न है।

अतः प्रतिवादी की ओर से पेश किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांक 09.01.2025 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित दस्तावेजात वसीयतों को रेकार्ड पर लिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से निवेदन किया गया है कि वे वादी साक्ष्य में गवाह पेश करने हेतु एक अवसर चाहते है, जिस बाबत अधिवक्ता प्रतिवादी को आपत्ति नहीं होने के कारण पुनः साक्ष्य वादी का अवसर प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।